रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 6, 1985/चैत्र 16, 1907

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 6, 1985/CHAITRA 16, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1985

आ०अ० 10.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि सन 1984 में केरल विधान सभा के लिए हुए उपनिर्वाचन में 33-मन्जेरी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित श्री अलावी मालायिल, पुलीयाकाडे अमसोम, डा. अक्कापाराम्ब, जिला मल्लापुरम, केरल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और उक्त अभ्यर्थी ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने के बाद भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास उक्त असफलता के लिए कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त श्री अलावी मालायित को संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए, इस आदेश की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/केरल/82(157)]

आदेश से,

एस. आर. सेठी, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th March, 1985

O.N. 10.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Alavi Malayil, Puliyakkade Amsom, P. O. Akkapatamb, Malappuram District, Kerala, a contesting candidate for the Bye-Election to the Kerala Legislative Assembly held in 1984 from 33. Manjeri constituency, has failed to lodge the account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate has not furnished any reason or explanation for the said failure even after the due notice, and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Alavi Malayil to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. 76/KL/83(157)]

By order,

S. R. SETHI, Under Secy.

Election Commission of India

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1985

आदेश

आ. अ. 11.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1984 में हुए हरियाणा विधान सभा में उप-निर्वाचन के लिए 59-तावडू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री कर्ण सिंह, सुपुत्र श्री जयसिंह, मकान सं. 18, सेक्टर संख्या 14, फरीदाबाद (हरियाणा), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन-व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, उक्त अभ्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त श्री कर्ण सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् की सदस्य चुने जाने और सदस्य होने या रहने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[संख्या हरि.-वि.स./59/84/उप०]

आदेश से,

धर्मवीर, सचिव

भारत निर्वाचन आयोग।

New Delhi, the 8th March, 1985

ORDER

O.N. 11.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Karan Singh S/o Shri Jai Singh,, House No. 18, Sector No. 14, Faridabad (Haryana), a contesting candidate at the bye-election to the Haryana Legislative Assembly held in May, 1984 from 59-Taoru Assembly Constituency has failed to lodge his account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Karan Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HN-LA/59/84/Bye]

By order,

DHARAM VIR, Secy.

Election Commission of India

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1985

अधिसूचना

आ. अ. 12.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 106 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग 1982 की निर्वाचन अर्जी सं० 1 में दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 12 फरवरी, 1985 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

[सं. 82/उ.प्र.-1982 का1/85]

आदेश से,

जे.सी. चौधरी, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

New Delhi, the 16th March, 1985

NOTIFICATION

O.N. 12.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby publishes the judgment dated the 12th February, 1985 of the High Court of Judicate at Allahabad, in Election Petition No. 1 of 1982.

[No. 82/UP/(1 of 1982)/85]

By order,

J. C. CHAUDHARY, Under Secy.

Election Commission of India

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL SIDE

ORIGINAL JURISDICTION

Dated Allahabad, the 12th February, 1985

PRESENT

The Hon'ble V. P. Mathur Judge.

ELECTION PETITION NO. 1 of 1982

Shri Chandra Mohan Petitioner

Versus

Shri H. N. Bahuguna and others Respondents

BY THE COURT

Mr. M. S. Negi, learned Counsel for the Election Petitioner appears and States that the petitioner does not want to prosecute this petition and it may be dismissed as such.

In view of this Statement, this Election petition is hereby dismissed as not pressed and in view of the fact that it is not being pressed, cost shall be easy.

Dated : 12-2-1985.

Sd/-

V. P. Mathur.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110064, 1985